न्यायालय अंचल अधिकारी,गाण्डेय (गिरिडीह)

अभिलेख संख्या– 30/20–21
अभिलेख का प्रकार– विविध वाद

प्रदीप साह
पिता–स्व0 मोहन साह
साकिन–बरोटॉड।

आदेश – फलक

18/10/2021

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक प्रदीप साह, पिता–स्व0 मोहन साह साकिन–बरोटॉड, पंचायत–रसनजोरी, थाना–अहिल्यापुर, अंचल–गाण्डेय द्वारा आवेदन पत्र के माध्यम से खाता नं0–01 तथा 31, रकवा–0.78 ए0 का ऑनलाईन रसीद निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया । आवेदन पत्र की जॉच संबंधित राजस्व उप निरीक्षक/प्रभारी अंचल निरीक्षक से कराई गई। प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आधार पर अभिलेख पंजीकृत करते हुए आवेदक को नोटिस के माध्यम से प्रश्नगत भूमि का दस्तावेज के साथ अपना पक्ष रखने हेतु निदेश दिया गया। तत्पश्चात विभिन्न तिथियों को सुनवाई की गई।

विषयगत भूमि का ब्यौरा निम्नवत है:–

थाना नं0	मौजा	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
519	बरोटॉड	01	25	0.26डी0
		31	212	0.50डी0
			213	0.02डी0
				कुल 0.78डी0

आवेदक प्रदीप साह द्वारा अपने समर्थन में बताया गया कि उक्त भूमि को निबंधित केवाला सं0 12109 दिनांक 24.10.1983 द्वारा क्रय किया गया है। कैम्प कोर्ट दिनांक 10.08.2007 के द्वारा दाखिल–खारिज स्वीकृत होकर मोहन प्रसाद साह के नाम से लगान रसीद निर्गत किया गया। लगान रसीद सं0–117334 वर्ष 2007–08 एवं लगान रसीद सं0–5897517 वर्ष 2010–2011 की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है।

राजस्व उप निरीक्षक/प्रभारी अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदित भूमि मौजा–वरोटॉड, थाना नं0–519, खाता नं0–01 प्लॉट नं0–25 रकवा 0.26डी0 सर्वे खतियान में वकास्त खाते की है एवं खाता नं0–31, प्लॉट नं0–212, एवं प्लॉट नं0–213, क्रमशः रकवा–0.50डी0 एवं 0.02डी0 का ऑनलाईन खतियान दर्ज नहीं है। आवेदक प्रदीप साह, पिता–स्व0 मोहन साह के द्वारा प्रस्तुत लगान रसीद में दर्ज कैम्प कोर्ट दिनांक 10.08.2007, क्रमांक 21 एवं ऑनलाईन पंजी II से मिलान किया गया जिसमे जमाबंदी दर्ज नहीं है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत लगान रसीद में पेज नं0–186/I पर दर्ज है। परन्तु ऑनलाईन पंजी II से मिलान करने पर पाया कि पेज नं0–186/I पर लखु दास, पिता–बाबुलाल दास खाता नं0–01, प्लॉट नं0–41 एवं 42 रकवा क्रमशः –0.06 डी0 एवं 0.01½ डी0 दाखिल–खारिज केस नं0– 104/88–89 दर्ज है, इस लिए ऑनलाईन रसीद निर्गत नहीं किया जा सकता है।

P.T.O

Scanned by CamScanner

आवेदक द्वारा प्रस्तुत रसीद संख्या 117334 वर्ष 2007–08 में अंकित कैप कोर्ट दिनांक 10.08.2007 के द्वारा क्रमांक 21 का मिलान कार्यालय में संधारित पंजी 27 से किया गया। मिलान करने के पश्चात संबंधित लिपिक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संधारित पंजी 27 के क्रमांक 21 पर प्रश्नगत भूमि दर्ज नहीं है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत रसीद सक्षम प्राधिकार के आदेश के बिना निर्गत किया गया है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत कागजातों एवं राजस्व उप निरीक्षक/प्रभारी अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन तथा कार्यालय में संधारित पंजी–27 के आवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा क्रय की गई भूमि का बिक्रेता के नाम से जमाबंदी कायम नहीं रहने के कारण उपरोक्त भूमि का ऑनलाईन रसीद निर्गत करना उचित प्रतित नही होता है। आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत करते हुए अभिलेख की कारवाई बंद की जाती है।

लेखापित एवं संशेधित ।

18/10/21
अंचल अधिकारी,
गाण्डेय।

18/10/21
अंचल अधिकारी,
गाण्डेय।

Digitally signed by SAFI ALAM
Date: 2021.10.18 17:30:59 +05:30
Location: 192.168.1.104

Scanned by CamScanner